पत्रांक–9A/विविध (पोर्टल) 03–01/2024– 486 (9A)/रा0

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

मोना झा,
उप निदेशक,
बिहार सर्वेक्षण कार्यालय।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना–15, दिनांक:–27.02.26

विषय :– राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (RCMS) पोर्टल पर नयी सुविधा/बदलाव के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राजस्व न्यायालयों की सभी प्रक्रियाएँ पूर्णरूपेण ऑनलाइन माध्यम से करने हेतु राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (RCMS) पोर्टल विकसित की गयी है। विभाग स्तर पर दिनांक–06.01.2026 को सम्पन्न राज्य स्तरीय बैठक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं ने इस पोर्टल में कतिपय सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के आलोक में राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (RCMS) पोर्टल में कतिपय प्रावधान किए गए हैं, जो निम्नवत् है :–

1. वित्तीय वर्ष 2017–18 तथा 2018–19 के ऑफलाइन दाखिल–खारिज वादों के विरुद्ध अपील वाद दायर करने का विकल्प उपलब्ध करा दिया गया है। Filing के समय दाखिल–खारिज वाद संख्या दर्ज करने के उपरांत "Offline Mutation Case" के चयन का ऑप्शन उपलब्ध कराया गया है। बाकी सभी प्रक्रियाएँ पहले जैसी ही होगी।

2. वाद के निष्पादन के समय ऑटोमैटिक सिस्टम डेट लेने की व्यवस्था के साथ–साथ पूर्व के आदेशित तथा ऑनलाइन पोर्टल पर लंबित वाद के निष्पादन हेतु निम्न व्यवस्था की गई है :–

(क) Running Case के cause–list के अनुसार सुनवाई के उपरांत "Case Progress" या "Dispose Reserved Case" मेनू से case को Disposed Off करने पर सिस्टम द्वारा ऑटोमैटिक date का चयन किया जा सकता है।

(ख) जिस केस का पूर्व में सुनवाई पूर्ण कर आदेश निर्गत किया जा चुका है, लेकिन किसी कारणवश उस वाद को ऑनलाइन निष्पादित नहीं किया गया हो तो उस वाद को अब "Manual Case Proceeding" से निष्पादित किया जा सकता है। निष्पादन के समय उस वाद की निष्पादन की तिथि का चयन करने का विकल्प उपलब्ध करा दिया गया है।

क्र0पृ0उ0

3. वाद निष्पादन के समय पारित आदेश के category का चयन करने का विकल्प उपलब्ध कराया गया है, जो अनिवार्य है। उदाहरण स्वरूप :–

Order Passed For:

i. Original Court: order passed

ii. Appeal/ Revision Court: Remanded

iii. Appeal/ Revision Court: Upheld

iv. Appeal/ Revision Court: Set-aside

v. Appeal/ Revision Court: Withdraw/ Compromised

4. निष्पादन के आदेश के category के चयन के उपरांत पारित आदेश के अनुपालन से संबंधित का चयन का विकल्प भरना अनिवार्य होगा।

5. Mutation Appeal वाद के निष्पादन के समय विकल्प (Whether compliance with the order is required: yes/no) में अगर "Yes" का चयन किया जाता है तो –

i. In case of original mutation case rejected: Remanded order अंचल अधिकारी के लॉगिन में पुनः सुनवाई कर आदेश पारित करने हेतु उपलब्ध कर दी जाएगी।

ii. In case of Original Mutation Case was Accepted and correction slip generated: दाखिल–खारिज वाद में सन्निहित सभी रकबा की सूची दिखाई देगी। पारित आदेश के अनुसार जिन प्लॉट का दाखिल–खारिज गलत किया गया है उसका चयन कर अंचल अधिकारी को अनुपालन के लिए उपलब्ध कर दी जाएगी।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (RCMS) पोर्टल में प्रदत्त नयी सुविधाओं से अधीनस्थ पदाधिकारियों को अवगत कराने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन,

(मोना झा),
उप निदेशक।

3. वाद निष्पादन के समय पारित आदेश के category का चयन करने का विकल्प उपलब्ध कराया गया है, जो अनिवार्य है। उदाहरण स्वरूप :—

Order Passed For:

i. Original Court: order passed

ii. Appeal/ Revision Court: Remanded

iii. Appeal/ Revision Court: Upheld

iv. Appeal/ Revision Court: Set-aside

v. Appeal/ Revision Court: Withdraw/ Compromised

4. निष्पादन के आदेश के category के चयन के उपरांत पारित आदेश के अनुपालन से संबंधित का चयन का विकल्प भरना अनिवार्य होगा।

5. Mutation Appeal वाद के निष्पादन के समय विकल्प (Whether compliance with the order is required: yes/no) में अगर "Yes" का चयन किया जाता है तो —

i. In case of original mutation case rejected: Remanded order अंचल अधिकारी के लॉगिन में पुनः सुनवाई कर आदेश पारित करने हेतु उपलब्ध कर दी जाएगी।

ii. In case of Original Mutation Case was Accepted and correction slip generated: दाखिल—खारिज वाद में सन्निहित सभी रकबा की सूची दिखाई देगी। पारित आदेश के अनुसार जिन प्लॉट का दाखिल—खारिज गलत किया गया है उसका चयन कर अंचल अधिकारी को अनुपालन के लिए उपलब्ध कर दी जाएगी।

अतः निदेशानुसार अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (RCMS) पोर्टल में प्रदत्त नयी सुविधाओं से अधीनस्थ पदाधिकारियों को अवगत कराने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन,

ह0/—
(मोना झा),
उप निदेशक।

ज्ञापांकः—9A/विविध (पोर्टल) 03—01/2024—486(9A)/रा0, पटना—15, दिनांक— 27.02.26

प्रतिलिपिः— सभी आयुक्त के सचिव/सभी अपर समाहर्त्ता/सभी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता/सभी अंचल अधिकारी, बिहार/आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(मोना झा),
उप निदेशक।

पत्रांक–9A/विविध (पोर्टल) 03–01/2024–   (9A)/रा0

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

मोना झा,
उप निदेशक,
बिहार सर्वेक्षण कार्यालय।

सेवा में,

सभी समाहर्त्ता,
बिहार।

पटना–15, दिनांकः–....................

विषय :– राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (RCMS) पोर्टल पर नयी सुविधा/बदलाव के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राजस्व न्यायालयों की सभी प्रक्रियाएँ पूर्णरूपेण ऑनलाइन माध्यम से करने हेतु राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (RCMS) पोर्टल विकसित की गयी है। विभाग स्तर पर दिनांक–06.01.2026 को सम्पन्न राज्य स्तरीय बैठक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं ने इस पोर्टल में कतिपय सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के आलोक में राजस्व न्यायालय प्रबंधन प्रणाली (RCMS) पोर्टल में कतिपय प्रावधान किए गए हैं, जो निम्नवत् है :–

1. वित्तीय वर्ष 2017–18 तथा 2018–19 के ऑफलाइन दाखिल–खारिज वादों के विरुद्ध अपील वाद दायर करने का विकल्प उपलब्ध करा दिया गया है। Filing के समय दाखिल–खारिज वाद संख्या दर्ज करने के उपरांत "Offline Mutation Case" के चयन का ऑप्शन उपलब्ध कराया गया है। बाकी सभी प्रक्रियाएँ पहले जैसी ही होगी।

2. वाद के निष्पादन के समय ऑटोमैटिक सिस्टम डेट लेने की व्यवस्था के साथ–साथ पूर्व के आदेशित तथा ऑनलाइन पोर्टल पर लंबित वाद के निष्पादन हेतु निम्न व्यवस्था की गई है :–

(क) Running Case के cause–list के अनुसार सुनवाई के उपरांत "Case Progress" या "Dispose Reserved Case" मेनू से case को Disposed Off करने पर सिस्टम द्वारा ऑटोमैटिक date का चयन किया जा सकता है।

(ख) जिस केस का पूर्व में सुनवाई पूर्ण कर आदेश निर्गत किया जा चुका है, लेकिन किसी कारणवश उस वाद को ऑनलाइन निष्पादित नहीं किया गया हो तो उस वाद को अब "Manual Case Proceeding" से निष्पादित किया जा सकता है। निष्पादन के समय उस वाद की निष्पादन की तिथि का चयन करने का विकल्प उपलब्ध करा दिया गया है।

कृ0पृ0उ0